

न्यायालय भूमि सुधार उप- समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 27/2024-25

अनुसूची -14 फॉर्म सं0- 563

आदेश की क्र०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी																		
	आवेदक (1) शंकर महली, पिता स्व० मंगरा महली, जाति महली, ग्राम बाटालोया, थाना - बसिया, जिला - गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table border="1"> <thead> <tr> <th>राजस्व ग्राम</th> <th>थाना सं०</th> <th>खाता सं०</th> <th>प्लॉट सं०</th> <th>रकबा</th> <th>जमीन किस्म</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बटालोया</td> <td>161</td> <td>26</td> <td>791</td> <td>1.76 एकड़ में से 0.56 एकड़ भूमि</td> <td></td> </tr> <tr> <td>बटालोया</td> <td>161</td> <td>26</td> <td>792</td> <td>1.15 एकड़ में से 0.59 एकड़ भूमि</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> कुल 1.15 (एकड़ पन्द्रह डिसमील) चौहदी प्लॉट सं० 791 :- उत्तर में - पारो उरॉव बगैरह, दक्षिण में - नीज विक्रेता, पुरब में - पंचु उरॉव, पश्चिम - पक्की सड़क चौहदी प्लॉट सं० 792 :- उत्तर में - नीज विक्रेता, दक्षिण में - फगुवा उरॉव बगैरह, पुरब में - पंचु उरॉव, पश्चिम - पक्की सड़क जमीन विक्रेता का विवरणी शंकर महली, पिता स्व० मंगरा महली, जाति महली, ग्राम बाटालोया, थाना - बसिया, जिला - गुमला जमीन क्रेता का विवरणी प्रमोद बिंझिया, पिता स्व० जितु बिंझिया, जाति बिंझिया, ग्राम बाटालोया, थाना - बसिया, जिला-गुमला।	राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म	बटालोया	161	26	791	1.76 एकड़ में से 0.56 एकड़ भूमि		बटालोया	161	26	792	1.15 एकड़ में से 0.59 एकड़ भूमि		
राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म															
बटालोया	161	26	791	1.76 एकड़ में से 0.56 एकड़ भूमि																
बटालोया	161	26	792	1.15 एकड़ में से 0.59 एकड़ भूमि																



आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता प्रमोद बिंझिया, पिता स्व० जितु बिंझिया, जाति बिंझिया, ग्राम बाटालोया थाना - बसिया, जिला- गुमला से राशि 1,27,000 (एक लाख सताईस हजार)रूपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु रूपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे हैं।

अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांक 512/रा० दिनांक 06/09/2025 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति महली एवं बिंझिया के हैं साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक शंकर महली, पिता स्व० मंगरा महली, जाति महली, ग्राम बाटालोया, थाना - बसिया जिला-गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि 1,27,000 (एक लाख सताईस हजार)रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा स्वीकृत प्रदान की जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावी नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित



16.10.25

भूमि सुधार उप -समाहर्ता
बसिया (गुमला)